

दिनांक-27/08/2020

मझौलिया थाना कांड संख्या – 492/2020 के अन्तर्गत दिनांक 14/07/2020 से काराबंदी अभियुक्त मनिराज साहनी की ओर से उनका जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद आबू अरसद की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा० को प्रदान की गयी।

विद्वान जिला अभियोजन पदा० श्री सतीश कुमार की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक के दस्तावेजी जमीन जिसका खाता सं० 126 खेसरा 16 रकवा 10 धूर जो कि जो कि शातिं पूर्वक दखल कब्जा में रह रहा है। दिनांक 12/07/2020 को शाम में करीब 04:00 बजे जब सूचक अपने बथानी पर थे तभी देखा कि मनिराज सहनी, मुकेश सहनी, कन्हैया सहनी, सुखाडी सहनी, मंजय कुमार, ध्रुप सहनी, दशरथ सहनी, गोविन्दा सहनी, संदेश सहनी, भागराशन कुमार, लक्षन सहनी एवं प्रभु सहनी सभी ने मिलकर जमीन को हडपने के नियत से हलवे हथियार से लैश होकर सूचक के खेत में धान की बीज का रोपा करने लगे तभी सूचक एवं सूचक की पत्नी रामवती देवी, लडका राजू सहनी, रमेश सहनी, भाई चोकट सहनी गये रोकथाम के लिए तभी मनिराम अपने पास रखे लोहे की राड से राजू के सर पर मारे जिससे खुन बहने लगा तभी मुकेश ने लाठी से राजू के बाये हाथ पर मारा जो लगते ही टूट गया। सुखाडी ने कुदाल से जान मारने के नियत से मारा सूचक की पत्नी के सर पर मारा जो लगते ही खुन बहने लगा। तभी हल्ला सुनकर सूचक का लडका हरिन्द्र सहनी पति राजू सहनी जो कि गर्भवती है तथा पहवादा सहनी जो बचाने के लिए दौडी तो संदेस ने जान मारने के नियत से टॉगे से हरिन्द्र के सर पर मारा जिससे बुरी तरह जख्मी हो गया। दीपलाल सहनी एवं मनिराज सहनी ने लाठी लिये हुये एवं हरिन्द्र को जान लेवा हमला कर दिया जिससे उसका अंगूठा टुट गया तभी मनिराज के आदेश पर ध्रुप एवं प्रेम ने सूचक की पत्नी का केश पकड कर जमीन पर पटक कर सूचक के पत्नी के पेट पर लात मारने लगे। सूचक की पत्नी का साडी, ब्लाउज फाड कर अर्धनग्न कर दिये एवं सूचक की पत्नी का सोने की मंगलसूत्र खीच लिये करीब 30,000/-रुपये का था और टैक्टर के टेलर का चक्का फाड दिये एवं लेदी कटा मशीन तोड दिये एवं नांद तोड दिये करीब दो लाख की क्षतिग्रस्त कर दिये।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। इस वाद में भा० द० वि० की धारा 341, 323, 324, 325, 307, 354, 379, 427/34 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जिसमें भा० द० वि० की धारा 307, 354, 379/34 अजमानतीय है तथा यह वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक अभियुक्त पर सूचक ने लोहे की राड, कुदाल एवं लाठी से जान लेवा हमला करने, मारपीट, गाली गलौज, बुरी तरह जख्मी, सूचक की पत्नी को अर्धनग्न करने, सोने की मंगलसूत्र छीनने एवं घर के सामान को क्षतिग्रस्त पहुंचाने का आरोप लगाया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 21/08/2020 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी